

प्रेस नोट
थाना गुरसराय, झांसी

दिनांक 08.11.2025

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 08.11.2025 को थाना गुरसराय पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता सिल्लो देवी पत्नी रामजी निवासी ग्राम राजापुर थाना टोडीफतेहपुर जनपद झाँसी उम्र करीव 54 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी में 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्ता के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-232/25 धारा - 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

नाम व पता अभियुक्ता - अभियुक्ता सिल्लो देवी पत्नी रामजी निवासी ग्राम राजापुर थाना टोडीफतेहपुर जनपद झाँसी उम्र करीव 54 वर्ष

बरामदगी – 10 ली० अवैध कच्ची शराब

पुलिस टीम का विवरण-

- 1 – श्री अमीराम सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना गुरसराय जनपद झाँसी
- 2 – उ०नि० श्री बृजेश कुमार भार्गव थाना गुरसराय जनपद झाँसी
- 3- म०का० कुजन फौजदार थाना गुरसराय जनपद झाँसी
- 4 – का० 870 आशीष द्विवेदी थाना गुरसराय जनपद झाँसी

